

राजस्थान सरकार
 प्रशासनिक सुधार विभाग
 अनुभाग-3

-0-

क्रमांक: प. 6 (3) / प्र.स. / अनु. 3/2000 जयपुर, दिनांक 7 सितम्बर, 2000

-: आज्ञा :-

इस विभाग की आज्ञा सं० 7/13/उप. एवं प०/5/75 दिनांक 25.3.75, 8.7.76, 23.9.77, 23.12.85, प० 2/7/उप. एवं प०/67/पार्ट दिनांक 9.10.84 का अतिक्रमण करते हुए फलन कटार्ड प्रयोग सर्वेक्षण एवं कृषि निवार्य आंकड़ों में सुधार एवं सम्बन्ध हेतु उच्च स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति का निम्न प्रकार पुनर्गठन करने की राजस्थान सहोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- | | | |
|---------|---|-----------------------|
| १. व. १ | अध्यक्ष, राजस्व मण्डल एवं निदेशक, भू-उत्प्रेषण, राजस्थान अजमेर । | - अध्यक्ष |
| १. बी | प्रमुख शासन सचिव, कृषि उत्पादन विभाग । | - सदस्य |
| १. सी | शासन सचिव, राजस्व विभाग । | - सदस्य |
| १. डी | शासन सचिव, आयोजना विभाग । | - सदस्य |
| १. ई | सो० सदस्य (सांख्यिकी) राजस्व मण्डल, अजमेर | - सदस्य |
| १. एफ | आर्थिक एवं सांख्यिकी सहायकार, कृषि महालय, भारत सरकार, नई दिल्ली । | - सदस्य |
| १. जी | उप महा निदेशक, राष्ट्रीय न्यायादर्श सर्वेक्षण (फील्ड) आयोजना डिप्टिजन भारत सरकार, नई दिल्ली । | - सदस्य |
| १. एच | आयुक्त, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, राज० जयपुर | - सदस्य |
| १. आर | आयुक्त, कनाण्ड क्षेत्रीय विकास (कम्बल) कोटा | - सदस्य |
| १. जे | रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर | - सदस्य |
| १. के | निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर | - सदस्य |
| १. एल | निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, राजस्थान, जयपुर | - सदस्य |
| १. एम | मुख्य अभियन्ता, निवार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर | - सदस्य |
| १. एन | संयुक्त निदेशक, सांख्यिकी राजस्व मण्डल, राज० अजमेर | - सदस्य साम्य |
| १. ओ | उप निदेशक, राष्ट्रीय न्यायादर्श सर्वेक्षण (फील्ड) आयोजना डिप्टिजन भारत सरकार, उत्तरी क्षेत्र, जयपुर । | - संयुक्त सचिव |

उपरोक्त समिति एक स्थाई समिति होगी । समिति का प्रशासनिक विभाग राजस्व (ग्रुप-2) विभाग होगा तथा समिति समय-समय पर निम्न सूची के सदस्यों के द्वारा विचार विमर्श करके राज्य सरकार को अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी:-

१. 1. आल इण्डिया इमेटी ज्ञान इन्फ्लुवेंस आण्ड एग्जिक्यूटिव स्टेटिस्टिकस के सुझावों को विचारविमर्श करने के लिये उपायों पर विचार करना ।
१. 2. फलन कटार्ड प्रयोग फलन सर्वेक्षण एवं कृषि आंकड़ों में सम्बन्धित अडिनाईयों पर विचार करना ।
१. 3. कृषि आंकड़ों को एकत्रित करने व उनके विवरण के उपयोगों में सुधार पर सुझाव देना ।

आज्ञा से,
 (Signature)
 शासन उप सचिव